न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :–यू0डी0खान
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 05 / 2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

1. तीजा पत्नि मालाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. बुद्वराम पुत्र मालाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. रोहताश पुत्र मालाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट– अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 29.10.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 286 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी मे स्थित भूमि ख0न0 681 रकबा 0. 64 है0 किस्म बंजड द्वितीय की गैर खातेदारी तीजा पत्नि मालाराम, बुद्वराम पुत्र मालाराम, रोहताश पुत्र मालाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड हैः–

क.स.	जमाबन्दी सम्वत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण
1	2012–2015	217	89बीघा	बंजड़ द्वितीय	पाना मुस्तरका राजकीय हिस्सा 1/2 पाना संग्राम सिंह जी हिस्सा 1/2
2	2015–2018	217	89बीघा	बंजड़ द्वितीय	सरकार
3	2017–2021	217	75बीघा 8बिश्वा	बंजड़ द्वितीय	सरकार
4	2021–2024	217	2बीघा 10बिश्वा	बंजड़ द्वितीय	मालाराम पुत्र भजुराम जाति दरोगा निवासी ग्राम गैर खातेदार
5	2025–2028	217/8/2	2बीघा 10बिश्वा	बंजड़ द्वितीय	मालाराम पुत्र भजुराम जाति चमार निवासी ग्राम गैर खातेदार
6	2029–2032	217/8/2	2बीघा 10बिश्वा	बंजड़ द्वितीय	मालाराम पुत्र भजुराम जाति चमार निवासी ग्राम गैर खातेदार
7	2033–2036	217/8/2	2बीघा	बंजड़	मालाराम पुत्र भजुराम जाति चमार निवासी

			10बिश्वा	द्वितीय	ग्राम गैर खातेदार
8	2042–2045	217/8/2	2बीघा 10बिश्वा	बंजड़ द्वितीय	मालाराम पुत्र भजुराम जाति चमार निवासी ग्राम गैर खातेदार
9	2046–2049	217/8/2	2बीघा 10बिश्वा	बंजड़ द्वितीय	मालाराम पुत्र भजुराम जाति चमार निवासी ग्राम गैर खातेदार
10	2060–2063	681	0.64है0	बंजड़ द्वितीय	बुद्वराम, रोहताश पु0 मालाराम, तीजा बेवा मालाराम, जाति चमार नि. ग्राम गैर खातेदार
11	2062–2065	681	0.64है0	बंजड़ द्वितीय	बुद्वराम, रोहताश पु0 मालाराम, तीजा बेवा मालाराम, जाति चमार नि. ग्राम गैर खातेदार
12	2063–2066	681	0.64है0	बंजड़ द्वितीय	बुद्वराम, रोहताश पु0 मालाराम, तीजा बेवा मालाराम, जाति चमार नि. ग्राम गैर खातेदार
13	2067–2070	681	0.64है0	बंजड़ द्वितीय	बुद्वराम, रोहताश पु0 मालाराम, तीजा बेवा मालाराम, जाति चमार नि. ग्राम गैर खातेदार
14	2071–2074	681	0.64है0	बंजड़ द्वितीय	बुद्वराम, रोहताश पु0 मालाराम, तीजा बेवा मालाराम, जाति चमार नि. ग्राम गैर खातेदार
15	2074–2077	681	0.64है0	बंजड़ द्वितीय	तीजा पत्नि मालाराम हिस्सा 1/3, बुद्वराम पु0 मालाराम, हिस्सा 1/3, रोहताश पु0 मालाराम हिस्सा 1/3, जाति चमार नि. ग्राम गैर खातेदार

उक्त वर्णित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2012–2015 से गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है जो गलत है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे मे दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढ़गी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। विवादित भूमि श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी की हैसियत से से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थना–पत्र बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थना–पत्र राजहक में पेश है अतः सभी प्रकार से शुल्कों से मुक्त रखने की कृपा करे। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 286 के अनुसार ग्राम कालीपहाड़ी में स्थित भूमि ख0न0 681 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड़ द्वितीय की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित मे दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा दिनांक 29.09.2021 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 217, 217/8/82 हाल खसरा नम्बर 681 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म बंजड़ द्वितीय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित नहीं है। वर्तमान समय में वादग्रस्त भूमि किसी सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगिता के कार्य के लिए कार्य

जिला कलक्टर झुन्झुनू

में नहीं ली जा रही है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के द्वारा अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा काश्त की जा रही है। अप्रार्थीगण की आय का कोई स्त्रोत नहीं है केवल कृषि कार्य पर निर्भर है। वादग्रस्त कृषि भूमि कभी भी सार्वजनिक उपयोग में नहीं ली गई है अप्रार्थीगण के पूर्वज मालाराम पुत्र भुजराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। इसके बाद अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है इस प्रकार अप्रार्थीगण व उनके पूर्वज नियमित रूप से आज तक राजस्व रिकार्ड पटवारी हल्का के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अप्रार्थीगण की ओर से तत्कालीन तहसीलदार झुंझुनू के समक्ष वादग्रस्त कृषि भूमि आंवटित करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु तहसीलदार झुंझुनू द्वारा राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की पालना नहीं की है। अप्रार्थीगण के नाम वादग्रस्त गैरखातेदारी कृषि भूमि का फौतगी नामान्तरकरण सम्वत् 2060 में भरा गया था जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2060 आधार वर्ष 2005 में दर्ज है। आवंटन नियमों के तहत 3 वर्षो उपरान्त ही आवंटी को गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किया जाना चाहिए था। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा अप्रार्थीगण के नाम कृषि जो पासबुक दिनांक 25.06.1998 में जारी की गई थी जिसमें पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार झुंझुनू के हस्ताक्षर है। इससे साबित होता है कि अप्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर लम्बे समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदारी अधिकार दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम कालीपहाडी की सरहद मे स्थित भूमि ख0न0 681 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड द्वितीय के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012–2015 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 217 की गैर खातेदारी तीजा पत्नि मालाराम, बुद्वराम पुत्र मालाराम, रोहताश पुत्र मालाराम, जाति मेघवाल, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं सा0 देह गैर खातेदार के खाते मे दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग मे काम आ रही है। भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड मे बंजड दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की गैरखातेदारी अनोवदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण वकील ने राजकीय अभिभाषक के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि मे मूंग–बाजरा काश्त हो रही है। विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। गिरदावरी मे भी काश्त का अंकन है। विवादित भूमि के क्रम मे फौतगी नामान्तरकरण भी भरा गया है। विवादित जमीन हमे सरकार ने दी है। विवादित भूमि पर हमारा लगातार कब्जा है। भूमि सार्वजनिक उपयोग मे काम मे नही आ रही है। अप्रार्थीगण को विवादित भूमि की खातेदारी दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा मौजा कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 286 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी मे स्थित भूमि ख0न0 681 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड द्वितीय की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त कर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :–

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

1. प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताया है तथा भूमि गैर खातेदारी को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में अप्रार्थीगण का तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी कभी सार्वजनिक उपयोग में नहीं ली गई है। बल्कि आराजी प्रारम्भ से अप्रार्थीगण के पूर्वजों के कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके इस तर्क को सही माना जा सके की भूमि सार्वजनिक उपयोग भूमि रही है।
2. अप्रार्थीगण का दुसरा तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागु नहीं होते है क्योंकि विवादित आराजी ग्राम कालीपहाड़ी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 217 सम्वत् 2012 से वर्ष 2015 तक गैर खातेदारी में दर्ज रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में गोचर भूमि, नदी, तल अथवा तालाब तथा किसी लोक प्रयोजन या लोक उपयोग के कार्य लिए प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि को माना है। प्रकरण में विवादित आराजी किस्म बंजड़ द्वितीय दर्ज रही है, जो गैर खातेदारी में रही भूमि है। विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागू नहीं होते है।
3. राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी सम्वत् 2021 से 2024 अर्थात 54 साल से अप्रार्थीगण के पूर्वज मालाराम पुत्र भजुराम के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रही है। जमीन की किस्म बजंड द्वितीय है तथा अप्रार्थीगण भूमि का कर दे रहे है। विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी में काश्त का अंकन है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है।
4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा जबाब में विवादित आराजी की खातेदारी दिये जाने की गुजारिश की है। इस हेतु अप्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। आदेश की प्रति प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

29/10/21